कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024 **दिनांक 14/08/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 13.08.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय 02 शातिर चोरों की गिरफ्तारी करते हुए चोरी की 07 मोटर साइकिल व 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.08.2024 को एवरग्रीन स्कूल थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के पास से मुखबिरी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. अरुण कुमार पुत्र स्व0 नन्दू राम निवासी ग्राम बिन्दवलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष 2. सूरज कुमार पुत्र स्व0 अशोक राम निवासी बिन्दवलिया थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवंम् इनके पास से चोरी की कुल 07 अदद मोटर साइकिल व अभियुक्त अरुण कुमार के पास से 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 365/2024 धारा 317(2),317(4),317(5),319(2),318(4) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता

1.अरुण कुमार पुत्र स्व0 नन्दू राम निवासी ग्राम बिन्दवलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष

2. सूरज कुमार पुत्र स्व0 अशोक राम निवासी बिन्दवलिया थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

विवरण पूछताछ — पूछताछ से अभियुक्त अरुण कुमार उपरोक्त अपनी गलती की माफी मांगते हुये बता रहा है कि हम दोनों लोग आपस में मिलकर योजना बनाकर जनपद गाजीपुर और आस पास के जिला जौनपुर, आजमगढ़ और बिहार में भी जाकर मोटर साइकिल की चोरी करते हैं। इसलिये यह तमंचा भी मैं अपनी सुरक्षा के लिये पुलिस से बच बचाकर लेकर चलता हूँ। साहब हम दोनों लोगों ने मिलकर कई मोटर साइकिलों की चोरी किया है, उनमें से कुछ मोटर साइकिलों को बेच कर उससे मिले रुपयों को आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया है। आज भी मैं अपने साथी के साथ चोरी की जो मोटर साइकिल छिपा कर रखा हूँ और उनको बेचने के लिये ग्राहक तय किया था और उस ग्राहक का यहीं पर इन्तजार करा रहा था। लेकिन आप लोगों ने आकर हम दोनों लोगों को पकड़ लिया। हम लोग चोरी की मोटर साइकिलों का नम्बर प्लेट बदल कर सुरक्षित स्थान पर

छुपा देते हैं। इस समय हम दोनों लोग कुल 06 चोरी की मोटर साइकिलों को छुपाकर रखा है। दूसरा व्यक्ति सूरज कुमार भी पूछने पर अपने गलती की बार बार माफी माँगते हुये बता रहा है कि साहब आप लोग हमे भी माफ कर दीजिये। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गयी है कि हम अपने साथी के साथ मिलकर मोटर साइकिलों की चोरी करते हैं और हम दोनों उन्हीं मोटर साइकिलों को बेचकर अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। आज हम दोनों लोग चोरी करके जो मोटर साइकिल छिपा कर रखे हैं उनको बेचने के लिये ग्राहक तय किये थे और उस ग्राहक का यहीं पर इन्तजार कर रहे थे। लेकिन आप लोगों ने आकर हम दोनों लोगों को पकड़ लिया। तत्पश्चात् हम पुलिस वाले मौके से पकड़े गये दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर उनकी निशादेही पर चक हुसैन खलिसापुर से कुल 06 मोटर साइकिल को बरामद किये।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस (अभि0 अरुण कुमार से)
2. मोटर साइकिल मो0 सा0 स्पलेन्डर प्लस काले रंग की बिना नम्बर
3. मो0 सा0 सुपर स्पलेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट
4. मो0 साइकिल सुपर स्प्लेण्डर रंग काला
5. मोटर साइकिल HF डीलक्स हैवी ग्रे कलर की बिना नम्बर की
6. मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट
7. मोटर साइकिल पैसन प्रो बिना नम्बर प्लेट काले रंग
8. मोटर साइकिल पैशन प्रो कत्थई रंग बिना नम्बर प्लेट की।

<u>आपराधिक इतिहास - अरुण कुमार</u> पुत्र स्व0 नन्दू राम निवासी ग्राम बिन्दवलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष

01. मु0अ0सं0 365/24 धारा 317(2),317(4),317(5),319(2),318(4) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

<u>आपराधिक इतिहास - सूरज कुमार</u> पुत्र स्व0 अशोक राम निवासी बिन्दवलिया थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

01. मु0अ0सं0 365/24 धारा 317(2),317(4),317(5),319(2),318(4) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

<u>02- थाना बिरनों पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 82/24 धारा 417,420 भादवि से सम्बंधित 04 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 12.08.2024 को उ0नि0 संजय कुमार यादव मय हमराह का0 विपिन कुमार, का0 अजय पटेल व का0 राहुल कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/24 धारा 417,420 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर पर आकर पूजा पाठ करके नहर से सोने चाँदी से भरा घड़ा, धन सम्पत्ति निकालने के नाम पर वादी से 7 लाख रूपये छल से लेकर भाग गए थे। अभियुक्त गण 1.सुखदेव राजपूत पुत्र स्व0 नन्दकिशोर नि0 144 मुखीबाश बैजन अहमदाबाद गुजरात उम्र 40 वर्ष 2. उमेश चौहान पुत्र गुलाब चौहान नि0 गगऊपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष 3. सोभनाथ चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी हथौडा (किडापुर) थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र 40 वर्ष 4. रामबृक्ष पुत्र बगेलू चौहान निवासी ग्राम दुवारी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 50 वर्ष कल दिनांक 12.08.24 को पुनः इसी प्रकार की घटना कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र मे भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर अभियुक्त गण उपरोक्त को मय एक सफेद रंग की बोलेरो के साथ समय

करीब 17.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पताः-</u>

1.सुखदेव राजपूत पुत्र स्व0 नन्दकिशोर नि0 144 मुखीबाश बैजन अहमदाबाद गुजरात उम्र 40 वर्ष।

2. उमेश चौहान पुत्र गुलाब चौहान नि0 गगऊपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष।

3. सोभनाथ चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी हथौडा (किडापुर) थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र 40 वर्ष।

4. रामबृक्ष पुत्र बगेलू चौहान निवासी ग्राम दुवारी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 50 वर्ष।

<u>03- थाना बिरनों पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टियों को किया गया गिफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.08.2024 थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र मय हमराह का0 नवीन कुमार यावद व का0 रामदेव सिंह व हे0का0 चालक रियाज अहमद थाना बिरनों जनपद गाजीपुर द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व दबिश वारण्टी मे रवाना थे कि मा0 न्यायालय गाजीपुर द्वारा जारी गिरफ्तारी के अधिपत्र के क्रम मे वारण्टी 1 .शम्भू उर्फ पंचम चौहान पुत्र हरि चौहान 2 .हरि चौहान पुत्र पतिराम चौहान 3 .शेषनाथ चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासीगण ग्राम तियरा थाना बिरनों जनपद गाजीपुर के घऱ पर दबिश दिया गया वारण्टी घऱ पर मौजूद मिले जिन्हे समय 04.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। वारण्टी गण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कि जा रही है।

<u>गिफ्तारशुदा वारण्टीगण नाम-पताः-</u>

1.शम्भू उर्फ पंचम चौहान पुत्र हरि चौहान निवासी ग्राम तियरा थाना बिरनों जनपद गाजीपुर

2.हरि चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासी ग्राम तियरा थाना बिरनों जनपद गाजीपुर

3.शेषनाथ चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासी ग्राम तियरा थाना बिरनों जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर